विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या : 1070/वि0स0/संसदीय/10(सं)/2017

लखनऊ, दिनांक 14 सितम्बर, 2018

अधिसूचना

प्रकीर्ण

चूंकि उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की नियम समिति (2017-2018) का प्रथम प्रतिवेदन विधान सभा के दिनांक 29 अगस्त, 2018 के उपवेशन में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-251(क) की अपेक्षानुसार सदन में प्रस्तुत किया गया था और उक्त प्रतिवेदन में उक्त नियमावली के नियम-269(ज) नियम समिति द्वारा की गयी संस्तुतियां जिसमें किसी माननीय सदस्य द्वारा प्रतिवेदन में संशोधन की सूचना प्राप्त करने एवं इसमें समिति द्वारा निर्णय लिये जाने का प्राविधान है। उपर्युक्त नियम-251 में शिथिलीकरण करते हुये 14 दिन की कालावधि की समाप्ति सदन द्वारा दिनांक 29 अगस्त, 2018 को स्वीकृत समझी गयी हैं,

अतः उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-269-न के बाद शीर्षक 'ध' तथा उसके अन्तर्गत नये नियम-''269-प'', ''269-फ'' तथा ''269-ब'' का परन्तुक एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ अधिसूचित किये जाते हैं :-

''ध''-संसदीय अनुश्रवण समिति

269-प-समिति का गठन :-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की एक ''संसदीय अनुश्रवण समिति'' होगी जिसमें माननीय सभापति सहित कम से कम उन्नीस सदस्य (सदस्य, विधान सभा) होंगे तथा इस समिति के पदेन सभापति माननीय अध्यक्ष, विधान सभा होंगे। यदि अध्यक्ष किसी कारण से समिति के सभापति के रूप में कार्य करने में असमर्थ हों तो उपाध्यक्ष उस उपवेशन के सभापति होंगे। यदि वे दोनों ही किसी कारण से पीठासीन होने में असमर्थ हों तो अध्यक्ष समिति के सदस्यों में से किसी सदस्य को उस बैठक का सभापति नाम-निर्देशित करेंगे।

269-फ-समिति के कृत्य :-

1-उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-301, नियम-51 एवं माननीय अध्यक्ष के अनुमोदन से उक्त नियमावली के अन्तर्गत सदृश सूचनायें, जो सदन में प्रस्तुत की गयी हों, के विषय में यदि माननीय सदस्य शासन द्वारा सदन में प्रस्तुत किये गये उत्तर से सन्तुष्ट न हों अथवा उत्तर तथ्यों पर आधारित न हों या शासन द्वारा उत्तर प्रस्तुत ही न किया गया हो ऐसे प्रश्न ''संसदीय अनुश्रवण समिति'' को सन्दर्भित किये जा सकेंगे।

2-माननीय अध्यक्ष की अनुमति से माननीय सदस्यों के प्रोटोकाल के उल्लंघन से संबंधित प्रकरण भी समिति के विचारार्थ लिये जा सकेंगे।

3-उत्तर प्रदेश विधान सभा के निदेश के खण्ड-167 इस नियमावली के अंग माने जायेंगे।

4-माननीय सदस्यों द्वारा संसदीय अनुश्रवण समिति को सन्दर्भित किये गये प्रकरणों पर विधान सभा सचिवालय की ओर से सम्बन्धित सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव को व्याख्यात्मक टिप्पणी हेतु प्रकरण प्रेषित किये जायेंगे। शासन से सम्बन्धित विभाग को व्याख्यात्मक टिप्पणी एक सप्ताह के अन्दर समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करनी होगी। समिति सम्बन्धित सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव का साक्ष्य लिये जाने हेतु शक्ति धारित करेगी।

5-व्याख्यात्मक टिप्पणी के आलोक में समिति विचार-विमर्श करने के उपरान्त अपनी संस्तुति/प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करेगी।

269-ब-समिति का प्रतिवेदन :-

समिति विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर उसे निर्दिष्ट किये गये विषयों के सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।

नियम-269 में संशोधन :-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली में नियम-269 में (ध) "संसदीय अनुश्रवण समिति" का जोड़ा जाना। "परन्तु कोई मंत्री समिति के सदस्य नियुक्त नहीं किये जायेंगे और यदि समिति के कोई सदस्य मंत्री नियुक्त किये जायें तो वे ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।"

आज्ञा से,

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

संख्या : 1070(1)/वि0स0/संसदीय/10(सं)/2017 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित :-

1-माननीय अध्यक्ष, विधान सभा के निजी सचिव को (माननीय अध्यक्ष की सूचनार्थ),
2-माननीय नेता विरोधी दल के निजी सचिव को (माननीय नेता विरोधी दल की सूचनार्थ),
3-समस्त मंत्रियों के निजी सचिवों को (माननीय मंत्रियों की सूचनार्थ),
4-समस्त सदस्यगण, विधान सभा, उत्तर प्रदेश,
5-प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, विधायी अनुभाग,
6-प्रमुख सचिव, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश,
7-प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, राजभवन, लखनऊ,
8-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,
9-मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के निजी सचिव को (मुख्य सचिव की सूचनार्थ),
10-उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय के समस्त अधिकारीगण तथा अनुभाग।

सुरेन्द्र प्रताप,
विशेष सचिव।

पी0एस0यू0पी-एल0 99 विधान सभा (184)-14-09-2018-1000 प्रतियां (कम्प्यूटर)।